

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप-21घ
(नियम-64)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

55-चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि-


श्री पुष्कर सिंह धामी, निवासी मकान नं-112, नगला तराई खटीमा, जनपद ऊधमसिंहनगर (जो भारतीय जनता पार्टी) द्वारा खड़े किये गये हैं।

उस सदन में,

श्री कैलाश चन्द्र गहतोडी के परित्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान-चम्पावत।

दिनांक:-03.06.2022 ।



(हिमांशु कफूरिया)

रिटर्निंग आफिसर

55-चम्पावत विधान सभा

55-चम्पावत विधान सभा क्षेत्र ।

Conduct of Election Rules, 1961 (Statutory Rules And Order)
FORM 21D
(See Rule 64)

(For use in election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand from 55-Champawat Assembly Constituency.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

Pushkar Singh Dhami,

House No 112, Nagla Tarai Khatima District Udham Singh Nagar
[sponsored by **Bharatiya Janata Party**] Has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the Resignation of Kailash Chandra Gahtori having been declared

Place-Champawat

Date-03-06-2022


(Himanshu Kafaltia)

Returning Officer, आफिसर

55-चम्पावत विधान क्षेत्र

Legislative Assembly Constituency